

**Form No. III****फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा

बनाम

उम्मेदसिंह वगैराह

किस्म मुकदमा

प्रार्थना पत्र (रं.वि.)

नं०

**173**

सन्

**2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। पूर्व में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् कार्यवाही विद्घो किये जाने हेतु दिनांक 15.11.2022 को पेश किया जो शामिल पत्रावली है। रिकार्ड पर लिया जाता है। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र का निवदेन कर बताया कि प्रार्थी कंपनी अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहती है, अतः प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र बाबत् कार्यवाही विद्घो का चिंतन-मनन किया। प्रार्थी कंपनी स्वयं अपना प्रार्थना-पत्र नहीं चलाना चाहती है ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विद्घो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 15.11.2022 को स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 89(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को विद्घोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">-S/D- (अरविन्द कुमार पोसवाल) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 11.01.2023</p>	

